

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 06/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त (डीसी), नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 06/12/2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त सचिव विकास आयुक्त, NSEZ (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री सुनील त्रिपाठी, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास, एसीआई, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार)।
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री शशि प्रभाकर, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. बैठक के लिए उपस्थित अन्य अधिकारी एस / श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक थे। विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (v) सत्य विजय वर्मा, एईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा। चूंकि बैठक के लिए गणपूर्ति थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 01/11/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 01/11/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 01/11/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश, उत्पादन क्षमता की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

सुरेंद्र मलिक

2.1 निदेशक श्री चेतन सेठ और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिलशाद अंसारी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाईको प्रारंभ में निम्नलिखित अधिकृत कार्यों के लिए एलओए (LOA) प्रदान किया गया था:

"डिजाइन, विकास और निर्माण:

- 1) ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे निष्क्रिय दिन/रात दृष्टि उपकरण, थर्मल इमेजिंगउपकरण, होलोग्राफिक / पलटा दृष्टि, निशानदेही गुंजाइश, दूरबीन दृष्टि, प्रिज्मीय / पेरिस्कोपिक उपकरण और दूरबीन / एककोशिकीय उपकरण;
- 2) लेजर सिस्टम जैसे लेजर रेंज खोजक, लेजर दृष्टि, लेजर चेतावनी प्रणाली;
- 3) आत्म-संरक्षण प्रणाली;
- 4) इलेक्ट्रो ऑप्टिक निगरानी और सुरक्षा प्रणालियाँ जैसे कैमरा खोजक लाइट स्पॉटर स्कोप;
- 5) अग्नि नियंत्रण प्रणाली जैसे टैक संचालित थर्मल इमेजिंग अग्नि नियंत्रण प्रणाली, सामरिक प्रकाश, विभिन्न सेंसर और नियंत्रण इकाइयाँ;
- 6) संचार प्रणाली;
- 7) उपर्युक्त मर्दों के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण जैसे माउंटिंग एडेप्टर, कैरिंग केस, सुरक्षा कवर, रखरखाव किट, बिजली आपूर्ति इकाइयाँ आदि।
- 8) बोर निरीक्षण और सफाई व्यवस्था के लिए निम्नलिखित उपकरणों का आयात:
 - (i) कैलिबर 23 मिमी - 155 मिमी के लिए बोर साइटिंग ऑप्टिकल दूरबीन।
 - (ii) 7.62 मिमी और 5.56 मिमी जैसे पैंडल सेना के हथियारों के लिए बोर साइटिंग उपकरण।
 - (iii) 55, 105 और 125 मिमी के लिए बोर सफाई उपकरण (ब्रश और रसायनों सहित)।
 - (iv) बोर निरीक्षण के लिए ऑप्टिकल उपकरण, कैलिबर 105mm-155mm।
- 9) (1) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 एमएम और संबद्ध सहायक उपकरण का डिजाइन, विकास और विनिर्माण; (2) बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल) के तहत; और (3) एमजीएल और यूबीजीएल के लिए साइटिंग सिस्टम।

2.2 आगे यह देखा गया कि अनुमोदन समिति ने अपनी पिछली बैठकों में निम्नलिखित निर्णय लिए थे:

- (i) इकाईके एलओए को केवल 31.12.2022 तक अधिकृत संचालन के क्रम संख्या 9 में उल्लिखित मद के निर्माण के लिए बढ़ाएं जैसे (1) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 एमएम और संबद्ध सहायक उपकरण (93012000) (1200 पीस/ वार्षिक); (2) अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल) (93012000) (2000 पीस/वर्ष); और (3) एमजीएल और यूबीजीएल के लिए साइटिंग सिस्टम (90131090) (3600 पीस/सालाना) के डिजाइन, विकास और विनिर्माण, क्योंकि इन उत्पादों के लिए डीपीआईआईटी द्वारा जारी लाइसेंस उपलब्ध था।
- (ii) मद "अधिकृत संचालन के क्रम संख्या 8 यानि की बोर निरीक्षण और सफाई प्रणालियों के लिए उपकरणों का आयात" को हटा दें क्योंकि यह एक बार की अनुमति थी।

सुरेन्द्र मलिक

- (iii) वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण मांगें कि क्या अधिकृत संचालन के क्रम संख्या 1 से 7 में उल्लिखित वस्तुओं को ओएम संख्या 11026/98/2016-आर्म्स/(पीटी II) दिनांक 26/05/2017 गृह मंत्रालय के अनुसार लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- (iv) स्पष्टीकरण मांगें कि क्या गृह मंत्रालय द्वारा "(ए) कार्बाइडन 9x19 मिमी (93012000) (8500 नग / वर्ष) के निर्माण के लिए जारी किया गया लाइसेंस; और (बी) स्नाइपर राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000) (748 संख्या/वर्ष); (ii) 8.60x70 मिमी (93012000) (752 संख्या/वर्ष)]", पर्याप्त है या स्वीकृति पत्र में इन मदों को शामिल करने से पहले किसी अन्य विभाग से कोई अन्य दस्तावेज/लाइसेंस आवश्यक है।

2.3.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि वाणिज्य विभाग ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2022 द्वारा सूचित किया था कि मैसर्स ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक (आई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं (जो क्रम संख्या (1) से (7) में उल्लिखित हैं) के लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित मामला, की जांच रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी) के परामर्श से की गई थी। वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई पैरा के अनुसार टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	निर्माण की वस्तु	लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में डीओडीपी टिप्पणी
i.	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे निष्क्रिय दिन/रात दृष्टि उपकरण,, थर्मल इमेजिंगउपकरण, होलोग्राफिक / पलटा दृष्टि, निशानदेही गुंजाइश, दूरबीन दृष्टि, प्रिज्मीय / पेरिस्कोपिक उपकरण और दूरबीन / एककोशिकीय उपकरण	प्रिज्मीय/पेरिस्कोप उपकरणों को छोड़कर आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य
ii.	लेजर सिस्टम जैसे लेजर रेंज खोजक, लेजर दृष्टि, लेजर चेतावनी प्रणाली;	शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत लाइसेंस योग्य
iii.	आत्म-संरक्षण प्रणाली	आइटम स्पष्ट नहीं है, इसलिए, कंपनी से टिप्पणी के लिए आइटम को विस्तार से स्पष्ट करने का अनुरोध किया जा सकता है
iv.	इलेक्ट्रो ऑप्टिक निगरानी और सुरक्षा प्रणालियाँ जैसे कैमरा खोजक लाइट स्पॉटर स्कोप;	इलेक्ट्रो ऑप्टिक निगरानी और सुरक्षा प्रणाली जैसे कैमरा, सर्च लाइट, स्पॉटर स्कोप आईडीआर अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य है। हालांकि, 2019 श्रृंखला के डीपीआईआईटी के प्रेस नोट 2 के अनुसार पुर्जे और घटक लाइसेंस योग्य नहीं हैं
v.	अग्नि नियंत्रण प्रणाली जैसे टैंक संचालित थर्मल इमेजिंग अग्नि नियंत्रण प्रणाली, सामरिक प्रकाश, विभिन्न संसर और	शस्त्र अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य

सुरेन्द्र मालिक

	नियंत्रण इकाइयाँ;	हालांकि, डीपीआईआईटी की 2019 श्रृंखला के प्रेस नोट 2 के अनुसार पुर्जे और घटक लाइसेंस योग्य नहीं हैं।
vi.	संचार प्रणाली;	शस्त्र अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस योग्य
vii.	उपर्युक्त मदों के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण जैसे माउटिंग एडेप्टर, कैरिंग केस, सुरक्षा कवर, रखरखाव किट, बिजली आपूर्ति इकाइयां आदि।	गैर लाइसेंस योग्य 2019 श्रृंखला के डीपीआईआईटी के प्रेस नोट 2 के अनुसार पुर्जे और घटक लाइसेंस योग्य नहीं हैं।

2.3.2 वाणिज्य विभाग ने कहा है कि वाणिज्य विभाग के दिनांक 05.03.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित अधिनियमों के तहत उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करने के साथ-साथ मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इकाई को कहें।

2.3.3 हालांकि, यह स्पष्टीकरण (दिनांक 12/08/2022 के पत्र के माध्यम से) कि "क्या गृह मंत्रालय द्वारा" (ए) कार्बाइन 9x19 मिमी (93012000) (8500 संख्या/वर्ष); और (बी) स्नाइपर राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000) (748 संख्या/वर्ष); (ii) 8.60x70 मिमी (93012000) (752 संख्या/वर्ष)]", के निर्माण के लिए जारी किया गया लाइसेंस पर्याप्त है या कोई अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/ अनुमतियों की जरूरत हैं पर वाणिज्य विभाग द्वारा कोई टिप्पणी/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

2.3.4 तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 18/10/2022 के पत्र के माध्यम से इकाई से अनुरोध किया गया था कि उक्त मद की आगे की जांच के लिए आईटीसी (एचएस) कोड के साथ "आत्म-सुरक्षा प्रणाली" की वस्तुओं का पूरा विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, इकाई से अन्य मदों के संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदन करने का भी अनुरोध किया गया था, जो वाणिज्य विभाग द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार लाइसेंस योग्य हैं। इस पर इकाई का उत्तर प्रतीक्षित है।

2.3.5 इसके अलावा, वाणिज्य विभाग और डीओडीपी ने इस कार्यालय पत्र दिनांक 19/10/2022 के माध्यम से यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि क्या गृह मंत्रालय द्वारा "(ए) कार्बाइन 9x19 मिमी (93012000) के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया गया है; और (बी) स्नाइपर राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000); (ii) 8.60x70mm (93012000)]", पर्याप्त है या एलओए में इन मदों को शामिल करने से पहले किसी अन्य विभाग से कोई अन्य दस्तावेज/लाइसेंस आवश्यक है। मामले में डीओडीपी/वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण की भी प्रतीक्षा है।

2.4 अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि अब, इकाई ने एमजीएल और यूबीजीएल, कार्बाइन 9x19 मिमी और स्नाइपर राइफल (i) 7.62x51 मिमी; (ii) 8.60x70 मिमी के स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण के डीटीए में व्यापार और जॉब-वर्क को शामिल करने की माँग की है। हालांकि, इकाई के पास केवल निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस है।

कुरुंप्रभालिक

2.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(A) इकाईको "स्व-संरक्षण प्रणाली" के तहत उत्पाद का पूरा विवरण प्रदान करने के लिए 8 अंकों के विशेष आईटीसी (एचएस) कोड के साथ एक अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया गया है और साथ ही उन वस्तुओं के संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए जो लाइसेंस योग्य हैं वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा स्पष्ट किया गया।

(B) "बोर निरीक्षण और सफाई प्रणालियों के लिए उपकरणों के आयात" के लिए अधिकृत संचालन की क्रम संख्या 8 अधिकृत संचालन का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि यह एक बार की अनुमति थी।

(C) अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग /डीओडीपी से प्राप्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अधिकृत कार्यों के लिए पांच साल की शेष अवधि के लिए एलओए को नवीनीकृत करने का भी निर्णय लिया है जो कि 19/03/2026 तक है:

(i) सहायक उपकरण जैसे बढ़ते एडेप्टर, कैरिंग केस, सुरक्षा कवर, रखरखाव किट, बिजली आपूर्ति इकाईयों आदि (12000 टुकड़े / वर्ष) के डिजाइन, विकास और निर्माण; जो इन उत्पादों के सही आईटीसी एचएस कोड प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

(ii) (1) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 एमएम और संबद्ध सहायक उपकरण (93012000) (1200 पीस/वर्ष) (2) अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल) (93012000) (2000 पीस/वर्ष); और (3) साइटिंग सिस्टम एमजीएल और यूबीजीएल के लिए (90131090) (3600 पीस/सालाना) का डिजाइन, विकास और विनिर्माण; .

(D) "कार्बाइन 9x19 मिमी और स्नाइपर राइफल (i) 7.62x51 मिमी; (ii) 8.60x70 मिमी के निर्माण और एमजीएल, यूबीजीएल, कार्बाइन 9x19 मिमी और स्नाइपर राइफल (i) 7.62x51 मिमी; (ii) 8.60x70 मिमी", के स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण के व्यापार के अधिकृत संचालन के संबंध में अनुमोदन समिति ने यह स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया कि क्या यह इकाई को दिया जा सकता है या नहीं। उक्त पत्र की एक प्रति इकाई को भी पृष्ठांकित की जा सकती है।

(E) समिति ने भी लाइसेंस की आवश्यकता का समर्थन किया जैसा कि वाणिज्य विभाग ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2021 द्वारा स्पष्ट किया है और आगे इस कार्यालय द्वारा इकाई को दिनांक 18.10.2022 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया। इकाई को रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है।

(F) समिति ने परियोजना प्रभाग, एनएसईजेड को इकाई को आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत लाइसेंस जारी करने के संबंध में वाणिज्य विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

सुरेश मलिक

(3) ओनसिनेक्स वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री हर्षपाल सिंह टक्कर, निदेशक और कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अरुण शंकर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पांच साल के अगले ब्लॉक यानी 10/01/2023 से 09/01/2028 तक उनके आवेदन में देखी गई कमियों का सुधार के लिए मैसर्स ओन्सिनेक्स वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओए को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने 2021-22 तक प्रस्तुत एपीआर के आधार पर प्रदर्शन की निगरानी भी की और 31/03/2022 तक इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई से डीटीए की बिक्री निर्यात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है और इस पर स्पष्टीकरण मांगा।

(4) एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए इकाईसे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया। इकाई को NSEZ में अपनी परियोजना के पुनरुद्धार के साथ-साथ लंबित APRs के लिए व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। समिति ने ऑनलाइन शामिल होने का विकल्प देने के बावजूद एक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और इकाई से स्पष्टीकरण मांगा।

(5) नोवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनय अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि 04/10/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्देशों के अनुसार, उन्होंने सभी आईटीसी (एचएस) कोड शामिल किए हैं जो अधिकृत संचालन के लिए उनके लिए आवश्यक हैं। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई ने सभी प्रस्तावित निर्माण और व्यापार मर्दों में “उसके भागों” भी शामिल किए हैं और उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई है। इन्हें शुरुआत में प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाईने सभी मर्दों के “भागों” के ITC (HS) कोड नहीं दिए हैं।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुसार वर्तमान ब्लॉक की शेष अवधि के लिए एलओए के नवीनीकरण के लिए मैसर्स नोवो टेक्नोलॉजीज वीटी लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सुरेश मलिक

(6) अल्कोमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) और अधिकृत संचालन की समीक्षा, अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश और डीसीपी (DCP) से संबंधित मामले।

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण सक्सेना अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन शुरू होने की तारीख (डीसीपी) को 21/06/2022 (पहले शिपिंग बिल की तारीख) के रूप में नोट किया। अनुमोदन समिति ने मैसर्स अल्कोमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत परिचालनों में "व्यापार, जॉच, परिक्षण, पुनःपैकिंग और फार्मा उत्पादों के निर्यात" के रूप में संशोधन; मौजूदा मर्दों के आईटीसी/ एचएस (ITC/HS) कोड को अद्यतन करना और प्राधिकृत परिचालनों में अतिरिक्त मर्दों को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

(7) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - भंडारण माल की डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव।

7.1 इकाई के निदेशक श्री राघव झुनझुनवाला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनके विदेशी ई-कॉर्मर्स ग्राहकों ने डीटीए (DTA) बिक्री के लिए अनुमति लेने का अनुरोध किया है क्योंकि वे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने बाजार का विस्तार करना चाहते हैं।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के एचएस अध्याय 61, 62, और 63 के तहत भंडारण के सामानों की डीटीए (DTA) बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(8) टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में भंडारण गतिविधियों को शामिल करना।

8.1 इकाई के निदेशक श्री अक्षित गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें विभिन्न मर्दों की भंडारण गतिविधि के लिए पूछताछ/ व्यावसायिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और वे इसके लिए अपने अधिशेष स्थान का उपयोग करना चाहेंगे।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित सामानों को छोड़कर एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में इकाई द्वारा प्रस्तावित माल की भंडारण गतिविधियों को शामिल करने के लिए मैसर्स टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

सुरेन्द्र मालिन

- i. अध्याय 71 के तहत आने वाली वस्तुएं।
- ii. सभी प्रकार के अपशिष्ट/रद्दी माल और
- iii. आयात के लिए निषिद्ध/प्रतिबंधित माल।

(9) महर्षि आयुर्वेद उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

9.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करने के लिए मैसर्स महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यानी "स्वीकृति पत्र (LOA) में (i) घरसन दस्ताने (सूती दस्ताने) (61169200) और (ii) पीतल के कटोरे" का व्यापार। यह अनुमोदन वर्ष 2021-22 के लिए पीतल के कटोरे के 8 अंकों और एपीआर (APR) पर सही आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड जमा करने के अधीन है।

(10) लक्ष्मण ओवरसीज - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

10.1 श्री विकास अग्रवाल और कुमारी वान्या अग्रवाल, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने प्रस्तावित विनिर्माण उत्पादों और उनके कच्चे माल/पूँजीगत सामान के संबंध में केवल 4 अंकों का आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड दिया है। अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि भंडारण के सामानों की प्रस्तावित अतिरिक्त सूची में कॉफी (HS 0901) को भी शामिल किया गया था।

10.2 अनुमोदन समिति ने आगे कहा कि इकाई को कॉफी और कैफीन के निर्माण के लिए कॉफी बोर्ड से लाइसेंस के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एफएसएआई (FSSAI) से अन्य अनुमतियां/लाइसेंस प्राप्त करने की भी आवश्यकता है।

10.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(A) अनुमोदन समिति ने इकाई परिसर के भीतर कॉफी के भूनने और/या डिकैफिनेशन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण गतिविधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। हालांकि, यह (i) प्रस्तावित गतिविधियों के सभी मॉडलों के साथ सही नामकरण और तैयार माल, कच्चे माल और पूँजीगत वस्तुओं के 8 अंकों के आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड; और (ii) वर्ष 2021-22 के लिए एपीआर (APR) प्रस्तुत करने के अधीन है।

स्टुरेंज सलिक

(B) अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण/सूचना की जांच करने का निर्देश दिया और विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(C) अनुमोदन समिति ने HS 0901 के तहत कॉफी को छोड़कर अतिरिक्त भंडारण माल के लिए स्वीकृति प्रदान की।

(11) रॉयल ज्वेलरी पैलेस - साझेदारों में परिवर्तन और लाभ/हानि शेयर अनुपात और प्रधान कार्यालय के पते में परिवर्तन

11.1 अनुमोदन समिति ने पाया कि वर्ष 2021-22 के लिए एपीआर (APR) अभी भी प्रतीक्षित है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में फर्म के भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में बदलाव पर ध्यान दिया। हालांकि यह वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दस्तावेजों, यदि कोई हो, और एपीआर (APR) को जमा करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रमुख कार्यालय के पते में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने नोएडा एसईजेड (SEZ) प्राधिकरण की नीति के अनुसार स्थानांतरण शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में मामले की जांच करने के लिए संपदा प्रबंधन प्रभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को निर्देशित किया।

(12) क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के नाम, निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और एनएसईजेड (NSEZ) के प्लॉट नंबर 190 में भवन सहित संपत्ति और देनदारियों के तहत संपत्ति और देनदारियों के स्थानांतरण के लिए अंतरिती के परिवर्तन के लिए अनुरोध।

12.1 श्री पंकज मदान, निदेशक और श्री मनोज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मदान ने बताया कि फरवरी 2021 में कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव हुआ है। इसके अलावा, अब एनसीएलटी (NCLT) के आदेश दिनांक 19/10/2022 के अनुसार, क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का "क्वालिटीस्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड" में समाप्ति 18/02/2021 से अनुमोदित किया गया है और तदनुसार कंपनी के नाम में परिवर्तन किया गया है निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के साथ।

12.2 श्री मदान ने आगे बताया कि नियम 74ए के तहत संपत्ति और देनदारियों के बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए उन्हें पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हालांकि, जैसा कि पिछले स्थानांतरी (मैसर्स जी वैचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) सौदे को अंतिम रूप देने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने एक नई कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसका नाम मेसर्स रैम्पो सीस प्राइवेट लिमिटेड है। संयोग से, एक नई इकाई स्थापित करने के लिए बाद के प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। श्री मदान ने

सूरेश पलिक

निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव की सूचना में देरी को माफ करने का भी अनुरोध किया और स्थानांतरी को बदलने का अनुरोध किया।

12.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के नाम में बदलाव, निदेशकों में बदलाव और कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने संपदा प्रबंधन प्रभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को नोएडा एसईजेड (SEZ) प्राधिकरण की नीति के अनुसार स्थानांतरण शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने 'मैसर्स जी वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' से "मैसर्स रैम्पो सीस प्राइवेट लिमिटेड" को प्लॉट नंबर 190, एनएसईजेड (NSEZ) में भवन सहित संपत्ति और देनदारियों के स्थानांतरण के लिए अंतरिती के परिवर्तन के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने भी इकाई द्वारा संविधान में परिवर्तन की सूचना नहीं देने को गंभीरता से लिया और बाद में उन्हें चेतावनी दी। इसके अलावा इकाई को भविष्य में एसईजेड (SEZ) अधिनियम/नियमों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

(13) भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज - एसडीएफ संख्या 1,3,5-8,12, एनएसईजेड में संपत्ति और देनदारियों से बाहर निकलें और मैसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 ए के संदर्भ में स्थानांतरित करें।

13.1 इकाइयों के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश भाटिया अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसडीएफ (SDF) संख्या 1,3,5-8,12, एनएसईजेड (NSEZ) से मैसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में मैसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के एसईजेड (SEZ) योजना से बाहर निकलने और अपनी संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित करने का निर्णय लिया। सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी एसईजेड (SEZ) नियमावली, 2006 के नियम 74ए के अनुसार होगी और (i) मैसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज द्वारा बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने; और (ii) एनएसईजेड (NSEZ) प्राधिकरण नीति के अनुसार लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान के अधीन है।

(14) एलओए (LOA) के तहत स्वीकृत अधिकृत संचालन के आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति के अनुसमर्थन से संबंधित प्रस्ताव।

सुरेश सलिक

14.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलओए के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के आईटीसी/एचएस (ITC/HS) कोड के अद्यतन के लिए दी गई निम्नलिखित अनुमति की पुष्टि की:

क्रमांक	इकाई का नाम	जारी पत्र की तिथि
1.	आर्यन खाद्य सामग्री प्राइवेट लिमिटेड	15/11/2022

(15) मियोन एंटरप्राइजेज- एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

15.1 प्रस्तावित इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ९याम अरोड़ा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में कुछ कमियां पाई गई हैं।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एनएसईजेड (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स मियोन एंटरप्राइजेज के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि यह अनुमोदन एसईजेड (SEZ) नियम 5(8) या 76 के अनुसार सेवा का स्टीक विवरण; प्रस्तावित सेवाओं का सीपीसी (CPC) कोड; कमियों का सुधार; और आवेदन में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन है।

(16) ब्राइट एलईडी (LED) प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

16.1 प्रस्तावित इकाई के निदेशक श्री अजय गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में कुछ कमियां पाई गई थीं।

16.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) रोशनी के निर्माण (9405) (600000 संख्या/वर्ष) और (ii) सेवा गतिविधियाँ: ऊर्जा परामर्श और प्रबंधन परामर्श" के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन हालांकि प्रस्तावित सेवाओं के सीपीसी (CPC) कोड सहित कमियों के सुधार और आवेदन में पाए गए दस्तावेजों/जानकारी को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) इकाई विनिर्माण और सेवा गतिविधियों के लिए एनएफई (NFE) आय के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।
- (ii) इकाई एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का पालन करेगी।

सुरेन्द्र मिश्र

(17) सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड - एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

17.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड के अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, अर्थात् "(i) सीडर ड्राइव गियर बॉक्स का निर्माण (गैर-ऑटोमोबाइल के लिए) (84839000) (500 टुकड़े / वर्ष); (ii) एलओए (LOA) में ऑटोमोटिव केबल प्रोसेसिंग मशीन और फिक्स्चर (84798999) (2 संख्या/वर्ष)।

(18) मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड - डीटीए (DTA) बीओई (BOE) की मंजूरी के लिए इकाई को दी गई एकमुश्त अनुमति के अधिकृत संचालन और अनुसमर्थन में संशोधन।

18.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

18.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, डीटीए (DTA) बीओई (BOE) नंबर 2013729 दिनांक 20/10/2022 की मंजूरी के लिए दी गई एक बार की अनुमति दिनांक 14/11/2022 की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने अधिकृत संचालन में संशोधन के प्रस्ताव को और स्थगित कर दिया। ऑनलाइन शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के बावजूद प्रतिनिधि की अनुपलब्धता को भी गंभीरता से लिया गया।

(19) सनगलास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - नियम 74ए के तहत संपत्ति के निकास और हस्तांतरण को वापस लेना।

19.1 अनुमोदन समिति के समक्ष बैठक के लिए इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया। ऑनलाइन शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने के बावजूद प्रतिनिधि की अनुपलब्धता को भी गंभीरता से लिया गया।

(20) सहदेव इंटरनेशनल - एलओए (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

20.1 श्री शशि सहदेव, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि मैसर्स सहदेव इंटरनेशनल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच इकाई को आवंटित प्लॉट नंबर 161, एनएसईजेड (NSEZ) पर कुछ विवाद है और बैंक ने इस कार्यालय से इकाई के अनुमोदन पत्र को नवीनीकृत नहीं करने का अनुरोध किया है।

20.2 श्री अमित वर्मा, मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (स्ट्रेस्ट एसेट मैनेजमेंट) शाखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने सार्वजानिक धन की प्राप्ति के लिए

सुरेन्द्र मलिक

सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के तहत प्राप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी प्राप्ति कार्रवाई के खिलाफ पार्टी ने डीआरटी (DRT) लखनऊ के समक्ष एसए (SA) दायर किया था। दिनांक 03.08.2022 को डीआरटी (DRT) लखनऊ ने बैंक के पक्ष में निर्णय पारित किया है। यह देखा गया कि बैंक से माननीय डीआरटी (DRT) लखनऊ के दिनांक 03.08.2022 के निर्णय की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, हालांकि, बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी संकेत दिया कि पूर्व मालिक के गारंटर होने की संभावना थी। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि बैंक यह स्पष्ट नहीं कर सका कि सहदेव इंटरनेशनल के परिसर को गिरवी रखने के लिए एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय की अनुमति/एनओसी (NOC) ली गई थी या नहीं।

20.3 इकाई के मालिक श्री शशि सहदेव ने कहा कि उनकी व्यवसाय-संघ ने बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, लेकिन, सहदेव इंटरनेशनल से संबंधित एनएसईजेड (NSEZ) के प्लॉट नंबर 161 की इमारत को उनके दिवंगत पिता (जो उस समय इसके मालिक थे) व्यवसाय-संघ द्वारा बैंक के पास गिरवी रख दिया गया था और वह एक अन्य व्यवसाय-संघ यानी सहदेव ज्येलर्स के मालिक थे। उन्होंने आगे एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए उन्हें मंजूरी देने का अनुरोध किया और कहा कि अगर बैंक को प्लॉट संख्या 161, एनएसईजेड (NSEZ) के साथ समस्या है तो वह एसडीएफ (SDF) में अपनी इकाई/व्यवसाय को स्थानांतरित करने और एसडीएफ (SDF) स्थान के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं।

20.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इस कार्यालय द्वारा बैंक को भेजे गए पत्र का बैंक द्वारा जवाब न देने के मामले में गंभीरता से विचार किया। समिति ने माननीय डीआरटी (DRT) लखनऊ के दिनांक 03.08.2022 के निर्णय की एक प्रति मामले में उनकी टिप्पणियों के साथ, जैसा कि पहले से ही अनुरोध किया गया है, प्रदान करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक अनुस्मारक भेजने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

(21) इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - मैसर्स इंडस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय और तदनुसार कंपनी के नाम/निदेशक/शेयरधारिता में परिवर्तन

21.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (स्थानांतरण इकाई) का मैसर्स इंडस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (स्थानांतरी) के साथ विलय की योजना को एनसीएलटी (NCLT) के आदेश दिनांक 18/10/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसके कारण उपर्युक्त विलय के बाद, मैसर्स इंडस वैली पार्टनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का मैसर्स इंडस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में विलय हो गया है और तदनुसार, इकाई के नाम/निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन हुआ है।

21.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार अदालत द्वारा अनुमोदित विलय के कारण नाम/निदेशकों/शेयरधारिता पैटर्न के परिवर्तन पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने संपत्ति प्रबंधन प्रभाग, एनएसईजेड (NSEZ) को नोएडा एसईजेड (SEZ)

सुरेश मालिक

प्राधिकरण की नीति के अनुसार स्थानांतरण शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त